केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/258 दिनांक: 09.10.2018

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00226
CICOM/R/2018/00792

अपीलकर्ता : **श्री गिरिजा शंकर जायसवाल,**
जिला विधिक सचिव,
मानव अधिकार मिशन वाराणसी शाखा,
बी-12/86, गौरीगंज, भेलूपुर,
वाराणसी – 221001.

निर्णय की तारीख: 09.10.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	02.08.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	07.09.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री के. एल. दास
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	20.09.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	459/28.09.2018 (3345/27.09.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 02.08.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/SB/A/2015/000675 का अनुपालन एवं उक्त द्वितीय अपील के संदर्भ में दिनांक 11.02.2017 को प्रेषित पत्र की गई कार्यवाही से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त संदर्भित आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2018/00792-DR (IC-BJ) **दिनांक 07.09.2018 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।** साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि प्रथम अपील में केवल आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना एवं संबंधित आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में प्रदान की गई सूचना पर विचार किया जाता है। प्रथम अपील आवेदन उल्लिखित अन्य मुद्दों पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है।

C. I. C./के. सू. आ.
RECEIVED
10 OCT 2018
D. No.............
Initials.............

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, के.सू.आ., नई दिल्ली।

10/10/18